भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 09/2024–25
दिनांकः 25 अप्रैल, 2024

विषयः एचएस कोड 07031019 के तहत 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07031019 के अंतर्गत सफेद प्याज के निर्यात के लिए निम्नलिखित नीतिगत शर्तों को शामिल करती है, जो निम्नानुसार हैः

आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
07031019	प्याज	निषिद्ध	इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित पत्तनों के माध्यम से अधिकतम दो हजार मीट्रिक टन की कुल मात्रा तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति है, यथाः 1. मुंद्रा पत्तन 2. पिपावाव पत्तन और 3. न्हावा शेवा/जेएनपीटी पत्तन। इसके अलावा, उपरोक्त निर्यात की अनुमति बागवानी आयुक्त, गुजरात सरकार से निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की मद और मात्रा को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र जारी करने के अधीन है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

विनिर्दिष्ट पत्तनों के माध्यम से अधिकतम दो हजार मीट्रिक टन की कुल मात्रा तक सफेद प्याज के निर्यात की तत्काल प्रभाव से अनुमति दी गई है। निर्यातक को बागवानी आयुक्त, गुजरात सरकार से निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की मद और मात्रा को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

संतोष कुमार सारंगी
25.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/060/एएम–24/ईसी/ई–38291 से जारी)